न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—84/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/84)

1. कंचन पुत्री शिवराज
2. गोरधन पुत्र रिद्धकरण
3. छोटी देवी पत्नि शिवराज
4. जगदीश पुत्र रिद्धकरण
5. दिलीप पुत्र शिवराज
6. सांवरलाल पुत्र शिवराज (मृतक)
   6/1 पायल पुत्री सांवरलाल नाबालिग जरिये माता आशा समस्त
   6/2 आशादेवी पत्नि सांवरलाल
   6/3 सलोनी पुत्री सांवरलाल नाबालिग जरिय माता आशा।
   समस्त जातिगण जाट निवासी ग्राम चाट तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. कैलाश पुत्र लक्ष्मण
2. गणेश पुत्र लक्ष्मण
3. दशरथ पुत्र लक्ष्मण
4. भगवती पत्नि लक्ष्मण
5. रमेश कालू उर्फ बालू
6. राजू पुत्र लक्ष्मण
7. हनुमान पुत्र लक्ष्मण
   समस्त जातिगण दरोगा निवासी ग्राम चाट तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
8. मैनजर, आई.सी.आई.सी.आई. शाखा नसीराबाद. जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार,नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद आदेश दिनांक 17.02.2023, प्रकरण संख्या 15/2022.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 07.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 9.
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 8 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 20.02.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 15/2022 में पारित आदेश के दिनांक 17.02.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

20.2.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण /प्रार्थीगण के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1से 07 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम जगपुरा के खसरा नम्बर 355, 356,/631, 359, 365, 366, 367 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है तथा प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर आने–जाने हेतु ग्राम चाट के खसरा नम्बर 101 गैरमुमकिन सड़क से होते हुए खसरा नम्बर 10 गै0मु0सड़क व खसरा नम्बर 9 सिवायचक से गुरजते हुए अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 356 के कुछ हिस्से का उपयाग करते हुए अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन करते है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के पास उपलब्ध नही हैं, इसलिए अपनी खातेदारी भूमि पर आने–जाने हेतु ग्राम चाट के खसरा नम्बर 101 गै0मु0सड़क से होतें हुए खसरा नम्बर 10 गै0मु0सड़क व खसरा नम्बर 9 सिवायचक से गुजरते हुए अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर नम्बर 356 में से 30 फिट चौड़ा रास्ता प्रदान किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दिनांक 25.05.2022 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। दिनांक 11.07.2022 को अप्रार्थी संख्या 1से 06 की ओर से श्री सीताराम रावत एड़वोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 07 की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ली गई एवं इन्तजार मौका रिपोर्ट रखी गयी। दिनांक 24.08.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुयी। दिनांक 03.02.2023 को प्रकरण पर बहस सुनी गई तथा दिनांक 17.2.2023 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नये रास्ते के आदेश प्रदान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा प्रकरण संख्या 15/2022 आदेश दिनांक 17.02.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस 'अपील में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र में अंकित भूमि हाल खसरा नम्बर 355, 356,/631, 359, 365, 366, 367 वाकै ग्राम जगपुरा गांव में स्थित हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 06 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 356 ग्राम जगपुरा मे स्थित है तथा प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में उपरोक्त दावाकृत भूमि का रास्ता प्राप्त करने का समान पक्षकारान, समान विषयवस्तु बाबत् अनुतोष प्रकरण संख्या 5/2021 कौलश बनाम कंचन प्रस्तुत किया गया जिसमें स्वयं न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2022 को मौका पर्चा तैयार किया गया जिसमें ग्राम चाट के खसरा नम्बर 10 किस्म गैरमुमकिन रास्ता मौजूद है जो खसरा नम्बर 9 से स्थित राजकीय भूमि में से होकर मौके पर रास्ता बना हुआ है तथा चाह 355 तक रास्ता मौके पर जाता है तथा खसरा नम्बर 356 में खेती हो रही है जिसके चारो ओर तारबंदी लगभग तीन वर्ष पूर्व से स्थित है तथा प्रार्थी खसरा नम्बर 10 व 09 से आवागमन करते है जो रास्ता उपलब्ध एवं चालू बताया गया को नजरअंदाज कर समान प्रकरण का दोबारा रास्ता प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मौका पर्चा एवं पूर्व निर्णय दिनांक 15.03.2022 की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। रास्ते बाबत् भूमि पर दिनांक 16.09.2022 को पुनः कोर्ट द्वारा मौका पर्चा बनाया गया जिसमें भी खसरा नम्बर 09 में से रास्ता उपलब्ध होने बाबत् रिपोर्ट आने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी मौका पर्चा रिपोर्टो को नजरअंदाज कर रास्ता उपलब्ध होने पर अप्रार्थीगण की भूमि हाल खसरा नम्बर 356 में से रास्ता देने का विधि प्रावधानो को विपरीत आदेश पारित किया। दावाकृत भूमि ग्राम जगपुरा की खसरा नम्बर 355 में आवागमन के लिए प्रार्थीगण ने ग्राम चाट के

राजस्व अपील प्राधिकारी

खसरा नम्बर 101 सड़क से खसरा नम्बर 10 में से होकर रास्ता मांगागया है जो रास्ता ग्राम चाट के खसरा नम्बर 10 से आगे खसरा नम्बर में से होकर ग्राम जगपुरा के हाल खसरा नम्बर 356/631 जो आवेदनकर्ता का खेत है में जाता है किन्तु अप्रार्थीगण की ग्राम जगपुरा में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 356 के मध्य से रास्ता प्रस्तावित कर प्रावधानों के विपरीत जाकर दिया गया है जो निरस्त योग्य है। धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान दिया गया है कि यदि रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट का बिना अवलोकन किये ही आदेश पारित किये है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 15/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2023 को निरस्त किया जावें।

5. बहस में वकील रेस्पोडेंट ने बताया कि खसरा नम्बर 10 गै0मु0 रास्ता है, खसरा नम्बर 101 मुख्य सडक मार्ग खसरा नम्बर 9 सिवायचक भूमि 356/631 हमारा है। 356 इनका है व 355 हमारा है। खसरा नम्बर 365, 366, 359, 367 हमारे खसरा नम्बर 355 से होकर आगे एवं साइड के खेत पर जाना है। खसरा नम्बर 356 पूर्व में सिवायचक भूमि थी खसरा नम्बर 9 के बाद खसरा नम्बर 356 ही है। इससे गुजर कर ही आगे जाएगें। पूर्व में खसरा नम्बर 9 के रास्ते के आधार पर निरस्त। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी भी इनके द्वारा प्रकरण संख्या 15/2022 में लगाई गई थी।

6. सर्वप्रथम अपील को मियाद अवधि के संदर्भ में देखा गया अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 15/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2023 का है। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 24.2.2023 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपील अंदर मियाद है।

7. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र पर न्यायालय हाजा के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के द्वारा साथ में एकपक्षीय सुनवाई के बाद दिनांक 14.3.2023 को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत आदेश जारी किया गया।

8. बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा 251ए का प्रार्थना पत्र लगाया गया था। ग्राम जगपुरा में हमारी भूमि खसरा नम्बर 356 है। ग्राम चाट 110, 101, 109 अन्य ग्राम से होकर मेरे ग्राम जगपुरा में आना चाहते है रेस्पोडेंट। मौका रिपोर्ट स्वयं एसडीओ द्वारा दिनांक 9.3.2022/16.9.2022 एसडीओ द्वारा। 251 ए के दो प्रकरण 5/21 व 15/22 । 5/21 खारिज, 15/22 स्वीकार वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। 356/631 इनका है विवादित खसरा से अटैच 356 खसरा नम्बर 9 से अडा है।

9. अपीलाधीन आदेश निम्नानुसार है– उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम जगपुरा के खसरा नम्बर 356 में से 45 मीटर लंबी व 9 मीटर चौडी कुल 405 वर्ग मीटर भूमि ग्राम चाट के खसरा नम्बर 9 में से 66 मीटर लंबी व 9 मीटर चौडी कुल 594 वर्ग मीटर भूमि गै0मु0 रास्ता (सिवाचयक खाते में) दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार नसीराबाद खसरा नम्बर 356 की आराजी के बदले 14512/अक्षरे चौदह हजार पांच सौ बारह रूपए खातेदार को भुगतान करने के बाद व खसरा नम्बर 9 की आराजी के बदले 21284/अक्षरे इक्कीस हजार दो सौ चौरासी रूपए राजकोष में जमा करवा कर उक्त आराजी गै0मु0 रास्ते के रूप में सिवायचक खाते में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

20.2.2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम जगपुरा के हाल खसरा नम्बर 359 (0.36) 365(0.17) 366(0.17) है0 भूमि वर्तमान रेस्पोडेंट के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है। खसरा नम्बर 356 रकबा 0.29 वर्तमान अपीलांट 1 से 6 के नाम खातेदारी दर्ज है। ग्राम चाट के खसरा नम्बर 101 रकबा 0.59 किस्म सडक व खसरा नम्बर 9 रकबा 0.17 बिड सिवायक खाते में दर्ज हैं। ग्राम चाट के ही खसरा नम्बर 10 रकबा 0.04 किस्म गै0मु0 रास्ता कंचन वगैराह के नाम खातेदारी दर्ज है।

11. राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 251 ए के तहत उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बनाए हुए हैं। जिसके नियम 69 पूछताछ एवं आवेदन पत्र का निपटान में यह अंकित किया हुआ है। " प्रपत्र एक में आवेदन पत्र की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल (साईट) का निरीक्षण करेगा या जो किसी अधिकारी द्वारा जो भू निरीक्षक अभिलेख के पद (रैंक) से नीचे का नहीं होगा एंव निरीक्षण करवाएगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का एक अवसर प्रदान कर तथा ऐसी ओर अग्रिम जांच जिसे वह आवश्यक समझे करने के बाद यदि इससे अपना समाधान कर लेता है कि " 1. आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है एवं 2. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नए रास्ते के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध हो गया है। वह आवेदन पत्र को स्वीकृत कर सकेगा। यह आवेदन पत्र आवेदन किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। वर्तमान प्रकरण में स्वयं उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट में विवादित आराजी पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग रेस्पोडेंट के पास नहीं होता बताया है साथ ही प्रस्तावित रास्ते को लघुत्तम रास्ता बताया गया जिसकी आत्यांतिक आवश्यकता को सिद्ध किया गया है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय में पूर्व प्रार्थना पत्र का भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा हवाला दिया गया है। जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि पूर्व प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 356 में से रास्ता चाहा था तथा वर्तमान प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 356 व 9 में रास्ता चाहा गया है। जिससे अपीलांट अप्रार्थी की भूमि का कम रकबा उपयोग में लिए जाने की बात कही गई है। साथ ही मौका पर्चा दिनांक 16.9.2022 में यह भी अंकित है कि खसरा नम्बर 356 पूर्व में सिवायचक भूमि थी तथा रेस्पोडेंट/प्रार्थी के द्वारा इसी से होकर अपने खेतों पर आवागमन किया जाता था जिसे बाद में बंद कर दिया गया। अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उपखण्ड अधिकारी द्वारा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता को रेखांकित किया गया है, तथा दिया गया रास्ता लघुत्तम रास्ता है। अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलांटस खारिज योग्य है।

12. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 15/2022 बउनवानी कैलाश व अन्य बनाम कंचन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2023 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

2.2.2024

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

20.2.2024

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर